बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2007

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना – बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 के द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती की नई व्यवस्था लागू करने में अधिनियम में कुछ विसंगतियाँ पायी गयी हैं । अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और जलकरों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

भारत गणराज्य के अठावनवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह संशोधन अधिनियमित हो यथा –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ।**– (1) यह अधिनियम बिहार जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. **बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा–2 में संशोधन ।**– बिहार जलकर अधिनियम, 2006 की धारा–2 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेगें :–
   (1) धारा–2(viii) में ''**पेशेवर**'' शब्द को ''**परंपरागत**'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
   (2) धारा–2(xii) में ''**जो मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो**'' शब्दों को ''**मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित या मत्स्य विज्ञान में मान्यता प्राप्त कोर्स की योग्यता धारण करने वाला मछुआ**'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
   (3) धारा–2(xiv) एवं 2(xv) के बाद निम्नलिखित टिप्पणियाँ जोड़ी जायेंगी –
   ''टिप्पणी – 1. सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि का कार्यकाल सरकार द्वारा यथा नियत या अधिक से अधिक पाँच वर्षो का होगा ।
   2. मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि का मनोनयन सरकार द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में या उनका कार्यकाल पूरा हो जाने पर समाहर्त्ता, सुरक्षित

जमा निर्धारण समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए दो गैर सरकारी सदस्यों को भाग लेने के लिए मनोनीत कर सकते हैं ।''

(4) धारा–2 के खंड (xv) के बाद निम्नलिखित दो खंड जोड़ी जायेंगी–

''(xvi) – '' निःशुल्क जलकर'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा निःशुल्क शिकारमाही हेतु अधिसूचित किया गया जलक्षेत्र।''

''(xvii) – ''परता'' से अभिप्रेत है, वह जलकर जिसकी किसी कारण से बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी और अधिनियम की धारा–11 में विहित प्रक्रिया द्वारा उसे इस आशय का घोषित किया गया है ।''

3. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–3 में संशोधन ।–

(1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा–3(ii) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा –

''परन्तु यह कि जिला मत्स्य पदाधिकारी, वर्गीकरण करने के पूर्व प्रस्तावित वर्गीकरण की आम सूचना निकाल कर और उस पर आपत्ति आमंत्रित कर एक माह के अन्दर उनका निष्पादन कर अंतिम वर्गीकरण करेंगे।''

(2) उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–3 की उपधारा (ii) के बाद निम्नलिखित नयी उपधाराएं –(iii) एवं (iv) जोड़ी जायेंगी –

''(iii) राज्य सरकार विभिन्न कोटि के जलक्षेत्रों के संबंध में यह आदेश निर्गत कर सकेगी कि वे उत्तम श्रेणी के हैं, मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के ।

(iv) राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा–(iii) के अधीन निर्गत आदेश की वैज्ञानिक मत्स्य विकास की संभावनाओं के आधार पर क्षमता का आकलन कर समीक्षा कर सकेगी ।''

4. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–4 में संशोधन ।– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–4 की मूल उपधारा (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी –

''(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूरी होगी ।''

5. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–5 में संशोधन ।–

(1) उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–5 की उपधारा (iii) में **''मत्स्यजीवी सहयोग समिति''** शब्दों के बाद **''या अन्य''** शब्द को जोड़ा जायेगा –

(2) उक्त अधिनियम 13, 2006 की धारा 5 की उपधारा (iii) के बाद निम्नलिखित एक नयी उपधारा (iv) जोड़ी जायेगी :–

''(iv) राज्य में जलकरों की बन्दोबस्ती का उद्देश्य मछुआ समुदाय के माध्यम से राज्य में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को वैज्ञानिक रुप से बढ़ाकर अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है।''

6. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–6 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–6 की उपधारा (vii) के खंड (घ) के बाद एक नया निम्नलिखित खंड (ङ) जोड़ा जायेगा–

''(ङ) बन्दोबस्ती रद्द कर बकाया राशि वसूलने हेतु निलाम वाद जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दायर किया जायेगा एवं इस जलकर की बन्दोबस्ती धारा–7 के अन्तर्गत की जायेगी ।''

7. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–7 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–7 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :–

(1) धारा–7(i) में **''दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों''** शब्द **''दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों, धारा–5 (iii) के अन्तर्गत चयनित जलकर एवं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिकारमाही हेतु अधिसूचित जलकर''** शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(2) धारा–7(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

''(ii) किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत अल्पकालीन बन्दोबस्ती के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नलिखित होंगे –

(क) एक लाख रुपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी,

(ख) एक लाख रुपये से अधिक एवं पाँच लाख रुपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक,

(ग) पाँच लाख रुपये से अधिक एवं बीस लाख रुपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों के लिए निदेशक मत्स्य एवं

(घ) बीस लाख रुपये से अधिक सुरक्षित जमा के सभी जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से।''

(3) धारा–7(iii) (क) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जायेगी –

''टिप्पणी–सहकारिता विभाग द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति के अभाव में यदि अंकेक्षण प्रतिवेदन वांछित हो तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउंटेंट के अंकेक्षण प्रतिवेदन को समर्पित कर सकेगी ।''

(4) धारा–7(iv) में प्रयुक्त शब्द **''एवं उनके हिस्से के जलकरों के अनुपात''** विलोपित किये जायेंगे ।

(5) धारा–7(viii) में '' **पात्र**'' शब्द को ''**इच्छुक**'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगाा और धारा–7(viii) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायगा :–

''जलकरों का बंटवारा समिति की आपसी सहमति से किया जाएगा । किसी विवाद की स्थिति में सुरक्षित जमा निर्धारण समिति कोई निर्णय ले सकेगी ।''

(6) धारा–7(xii) (च) के परंतुक का अंतिम वाक्य **''निबंधन पर व्यय का वहन समिति द्वारा किया जायेगा ।''** विलोपित किया जायेगा ।

8. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–8 में संशोधन ।–उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–8 (ii) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द **''एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या''** विलोपित किये जायेगें ।

9. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–11 में संशोधन ।**–उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–11 में प्रयुक्त शब्द **''दो बार सीमित डाक''** शब्द **''दो बार खुली डाक''** द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगें ।

10. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–13 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–13 की उपधारा (vi) के बाद निम्नलिखित एक नयी उपधारा (vii) जोड़ी जायेगी –

> **''(vii) बिगहेड एवं विदेशी मांगुर एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अन्य प्रतिबंधित मछली के प्रजनन एवं परिवहन प्रतिषिद्ध रहेगा ।''**

11. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–16 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा–16 में प्रयुक्त शब्द **''किसी व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय''** शब्द **''किसी व्यवहार न्यायालय, सहकारिता निबंधक न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय द्वारा''** प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

12. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–17 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–17(ii) में **''प्रयुक्त कोष्ठक एवं अंक (i) से (v)'' क्रमशः कोष्ठक शब्द एवं अंक (i) से (v) एवं (vii)''** द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

13. **बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा–20 में संशोधन ।**– उक्त अधिनियम, 13, 2006 की धारा–20 कर उपधारा (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी –

> ''**(i) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व जलकरों के बन्दोबस्ती संबंधी निर्गत सभी विभागीय नियम, आदेश एवं परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं ।''**